न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 04/17

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, जाति शर्मा, निवासी बींजासर तहसील डूंगरगढ जिला श्रीगंगानगर।
फर्म – मै0 मां जगदम्बा मावा भण्डार, दुकान नं 19, विनोबा बस्ती, सुखाडिया सर्किल के पास, श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय दिनांक : 22 जून ,2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 29.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2016 को दोपहर 12:30 पी.एम. पर फर्म मै. मां जगदम्बा मावा भण्डार, दुकान नं 19, विनोबा

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बस्ती, सुखाड़िया सर्किल के पास, श्रीगंगानगर पहुंचे। विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। श्री अशोक कुमार शर्मा फर्म मां जगदम्बा मावा भण्डार, श्रीगंगानगर पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के रूप में मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को मावा, मिठाई, नमकीन आदि बनाकर बेच रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ फीका मावा के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान के डीप फ्रीज में खुले मुंह के पीपे में फीका मावा लगभग 16 किलो रखा हुआ था, को मावा देने के काम आने वाले कौंचे से अच्छी तरह हिला मिला कर एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए फीका मावा में से 1 किलो फीका मावा एक साफ सूखे भिगोने में खरीदा, फीका मावा की कीमत 220 रूपये अदा की एवं खरीद की रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। तत्पशचात खरीद शुदा फीका मावा को चार नमूना बोतलों में बराबर–बराबर भरा। प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली गई। चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना बोतलों को कॉर्क से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के–726 को नियमानुसार नीचे ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता अशोक कुमार शर्मा ने पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म 6 की 8 प्रतियां तैयार की उस पर नमूने को सील्ड करते समय कम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म संख्या 6 की एक–एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग–अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा, ऊपर नीचे, आजू बाजू सील चपड़ी किया तथा फार्म संख्या 6 की दो दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग–अलग बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारों

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के एक भाग एवं फार्म संख्या 6 का एक सील बंद लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष तीन सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की सील बंद लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3350/एक्ट/2016/1022 दिनांक 29.11.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–726 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के अन्तर्गत **अमानक** (सब–स्टैण्डर्ड) पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.05.2017 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस फीका मावा का नमूना जांच हेतु लिया गया था, वह उसने बायलर पर ही तैयार किया था जिसके लिए बाजार से दूध खरीदा गया था, उसमें से फैट नहीं निकाली थी। गाय का दूध मावा बनाने में काम में लिया गया था। गाय का दूध की फैट भैंस के दूध से कम होती है। इसी कारण मावा में फैट कम आई है। अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार की तथा लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा मै0 मां जगदम्बा मावा भण्डार, श्रीगंगानगर से लिया गया मावा का सैम्पल के–726 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/3350/ एक्ट/ 2016/ 1022 दिनांक 29.11.2016 द्वारा **सबस्टैण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। मावा में अपमिश्रण नहीं था और न ही मानव जीवन के लिए हानिकारक था। केवल दूध में फैट कम होने के कारण मावा अमानक पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जांच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis)(Name of method – Manual of method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi) की मात्रा न्यूनतम 30.0 % होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार मावा में 27.41% पाई गई है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया मावा का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप, श्री अशोक कुमार मै0 मां जगदम्बा मावा भण्डार, श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में मावा तैयार करने के लिए उपयोग में लिये जाने वाले दूध के फैट की जॉच करने के उपरांत ही मावा तैयार किया जावे ताकि उपभोक्ताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इस आदेश की सख्ती से पालना की जावे।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0) श्रीगंगानगर (राज.)

22/6/17

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।